# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

जम्बो फिनवेस्ट(इण्डिया) लिमिटेड, रजिस्टर्ड पता 102 कंचन अपार्टमेंट अपोजिट एलबीएस कालेज तिलक नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

**– प्रार्थी**

**बनाम**

1. श्री अर्जुन लाल राजपूत उर्फ अर्जून सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह निवासी साल्वी मोहल्ला, सार्दुल खेडा, बोरज, तहसील राजसमन्द, जिला– राजसमन्द(राज.)
2. श्रीमती सुमित्रा कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नी अर्जून सिंह निवासी साल्वी मोहल्ला, सार्दुल खेडा, बोरज, तहसील राजसमन्द, जिला– राजसमन्द(राज.)
3. श्री गोपीलाल रेगर पुत्र श्री वेनाजी निवासी साल्वी मोहल्ला, सार्दुल खेडा, बोरज, तहसील राजसमन्द, जिला– राजसमन्द(राज.)

**–अप्रार्थीगण/ऋणी**

**किस्म मुकदमा**– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 24/2020**

| क्रमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 06.10.2020**<br><br>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर ने दिनांकः 10.09.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।<br>प्रार्थी कम्पनी को भारत के राजपत्र मे दिनांक 24.10.2018 को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा (1) के खण्ड (ड) के उप खंड (4) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शामिल किया गया।<br>अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध संख्या 76641, दिनांकित 01/07/2018 के जरिये प्रार्थी कम्पनी से कुल 25,00,000/– रूपये शब्देन पच्चीस लाख रूपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। उपरोक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थीगण द्वारा अपनी अर्जुन सिंह राजपुत की सम्पत्ति स्थित साल्वी मोहल्ला सर्दुल खेडा ग्राम पंचायत बोरज पंचायत समिति राजसमन्द जिसके उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में मिया रामजी जाट का बाडा पूर्व में बलवंत का घर व पश्चिम में आम रास्ता है तथा जिसका मिसल संख्या 4 हैं, को प्रार्थी कम्पनी के यहॉ मोरगेज किया था तथा | |

रजिस्टर्ड मोरगेज डीड भी निष्पादित की थी। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नही करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 14.09.2019 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्युरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13 (2) के अर्न्तगत नोटिस दिनांकित 11.01.2020 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 04.12.2019 तक कुल बकाया राशि 2544425/– रूपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की मांग की गई तथा उक्त राशि को नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अंदर भुगतान करने हेतु कहा। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो गये। उक्त नोटिस के तामिल के उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया तथा ना ही उक्त नोटिस की तामील के उपरान्त अप्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नही ली गई। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्युटराईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नही किया गया हैं। इसलिए अर्जुन सिंह राजपुत की सम्पत्ति स्थित साल्वी मोहल्ला सर्दुल खेडा ग्राम पंचायत बोरज पंचायत समिति राजसमन्द जिसके उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में मिया रामजी जाट का बाडा पूर्व में बलवंत का घर व पश्चिम में आम रास्ता है तथा जिसका मिसल संख्या 4 है, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि प्रार्थी कम्पनी उक्त सम्पत्ति को विधिनुसार नीलाम करने अपनी ऋण राशि को वसूल कर सके।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं0 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 11.01.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए0डी0 की रसीदे प्रस्तुत की गयी।

आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :– अर्जुन सिंह राजपुत की सम्पत्ति स्थित साल्वी मोहल्ला सर्दुल खेडा ग्राम पंचायत बोरज पंचायत समिति राजसमन्द जिसके उत्तर में आम रास्ता दक्षिण में मिया रामजी जाट का बाडा पूर्व में बलवंत का घर व पश्चिम में आम रास्ता है तथा जिसका मिसल संख्या 4 है

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

**(अरविन्द कुमार पोसवाल)**
**जिला मजिस्ट्रेट**
**राजसमन्द**

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)